Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में राजकीय कॉलेज, बीबीरानी के कार्यवाहक प्राचार्य, सह आचार्य तथा व्याख्याता 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *05 अप्रेल, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीनारायण बैरवा कार्यवाहक प्राचार्य, दीपक अहलावत सह आचार्य (सचिव महाविद्यालय विकास समिति) एवं रमेश चंद शर्मा व्याख्याता (एन.एस.एस. प्रभारी) राजकीय कॉलेज बीबीरानी, अलवर को परिवादी से **15 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि एन.एस.एस. कैम्पों के बिल पास करवाने की एवज में श्रीनारायण बैरवा कार्यवाहक प्राचार्य, दीपक अहलावत सह आचार्य (सचिव महाविद्यालय विकास समिति) एवं रमेश चंद शर्मा व्याख्याता (एन.एस.एस. प्रभारी) राजकीय कॉलेज बीबीरानी, अलवर द्वारा कमीशन के रूप में 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर अलवर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री प्रेमचंद पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए 1. श्रीनारायण बैरवा पुत्र श्री सुखदेव प्रसाद निवासी वार्ड नं0 24, काकाहेड़ी रोड़, किशनगढ़ बास, अलवर हाल कार्यवाहक प्राचार्य, 2. दीपक अहलावत पुत्र श्री प्रीत सिंह जाट निवासी मकान नं0 337, सैक्टर–22, गुरूग्राम हरियाणा हाल सह आचार्य (सचिव महाविद्यालय विकास समिति) एवं 3. रमेश चंद शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा निवासी 341, अपना घर, शालीमार अलवर हाल व्याख्याता (एन.एस.एस. प्रभारी) राजकीय कॉलेज बीबीरानी, अलवर को परिवादी से **15 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।